हमारे ऋण उत्पाद

- कृषि ऋण
- सी के सी सी
- आवास ऋण
- शिक्षा ऋण
- वैयक्तिक ऋण
- वाहन ऋण
- एम एस एम ई

सभी प्रकार के ग्राहकों हेतु ऋण योजना

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रस्तावना

बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु आवश्यक है कि सभी स्टाफ सदस्यों को सभी योजनाओं की प्राथमिक जानकारी हो, इस उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा सभी अंचलों को विभिन्न विषयों पर हिन्दी पुस्तक बनाने का कार्य दिया जाता है.

केन्द्रीय कार्यालय द्वारा इस वर्ष हमारे अंचल को हमारे ऋण उत्पाद विषय पर एक पुस्तक बनाने के लिए कहा गया. हमने प्रयास किया है कि हमारे बैंक द्वारा रिटेल, कृषि तथा एम एस एम ई क्षेत्रों हेतु जारी योजनाओं को संक्षेप मे प्रस्तुत करें ताकि अधिकतर स्टाफ इन योजनाओं के विषय में प्राथमिक जानकारी अद्यतन कर सके. यह जानकारी बैंक के विभिन्न परिपत्रों व वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर एकत्रित कर ई-पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की गई है ताकि बैंक के सभी स्टाफ सदस्य इसका लाभ उठा सकें.

यह पुस्तक मेरे द्वारा तथा हमारे अंचल में दिल्ली उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ प्रबंधक,राजभाषा श्री वाई एस वर्मा तथा जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा श्री प्रेम गौड़ द्वारा संकलित जानकारी पर आधारित है, इस जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए हमारे कार्यालय के ऋण विभाग ने जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ .

मुझे आशा है कि केन्द्रीय कार्यालय ने जी उद्देश्य के लिए इस पुस्तक का कार्य हमें सौंपा है, मुझे आशा है कि यह पुस्तक उन मानदंडों पर खरी उतरे गी तथा स्टाफ के लिए उपयोगी साबित होगी.

सहयोग हेतु मैं अपने एफ जी एम श्री विपिन कुमार महेंदरू जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिनके निर्देशन में इस पुस्तक का संकलन किया गया, उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया.

अशोक कुमार तनेजा
मुख्य प्रबंधक-राजभाषा

रिटेल ऋण

सेन्ट होम लोन

प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, इस सपने को साकार करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अत्यंत आकर्षक योजना आवास ऋण योजना है, जिसका विवरण निम्न अनुसार हॉ:

उद्देश्य :

1. नये घर / फ्लैट के निर्माण / अधिग्रहण के लिए अथवा विद्यमान घर / फ्लैट के अधिग्रहण के लिए जिसमें लागू ऋण अवधि तथा 10 वर्ष की शेष अवधि हो..
2. विद्यमान घर / फ्लैट की मरम्मत / नवीनीकरण / परिवर्तन के लिए.

पात्रता :

1. व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, जिन्होंने आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और सहकारी समितियां, जिनके पास माता-पिता, पुत्रों, पति या पत्नी के साथ एकल अथवा संयुक्त रूप से आय का कानूनी और नियमित आय का स्रोत हो.

2. अनिवासी भारतीय भी आवास ऋण हेतु पात्र हैं.

ऋण की प्रमात्रा: आवेदक की शुद्ध वार्षिक आय एवं चुकौती क्षमता ईएमआई / एनएमआई अनुपात पर आधारित है.

1. शुद्ध वार्षिक आय-वार श्रेणीबद्ध अनुपात निम्नानुसार है :-

शुद्ध वार्षिक आय	ईएमआई / एनएमआई अनुपात
<=रु.1.20 लाख	20%
> रु.1.20लाख एवं <= रु.3.0 लाख	30%
> रु.3 लाख एवं <= रु.5.0 लाख	55%
> रु.5 लाख एवं<= रु.8.0 लाख	60%
> रु.8 लाख एवं <= रु 10 लाख	65%
> रु. 10.0 लाख	66.67%

2. एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = कुल मासिक आय (जीएमआई।) – सभी संवैधानिक कटौतियां एवं कर. (सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित ईएमआई के अतिरिक्त).
ईएमआई के आकलन के उद्वेश्य से ईएमआई / एनएमआई अनुपात में विद्यमान ऋणों की सभी ईएमआई एवं प्रस्तावित ऋण की ईएमआई सम्मिलित होगी, अत: एनएमआई आकलन के उद्वेश्य से वर्तमान ईएमआई कुल मासिक आय में से नहीं काटी जानी चाहिए.
नोट : अनुमत ऋण राशि का निर्धारण निम्न पात्र मानदंडों से प्राप्त कम मूल्य के आधार पर किया जाएगा :

अधिकतम अनुमत एलटीवी अनुपात
एवं अनुमत ईएमआई / एनएमआई अनुपात.

3. कुल वार्षिक आय में सभी स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली नियमित आय को सम्मिलित किया जाना चाहिए. अप्रत्याशित आय अथवा ओवरटाइम इत्यादि जैसी अस्थायी प्रकृति की आय को कुल वार्षिक आय के आकलन में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए, भले ही ये आय नियमित हो.

4. आवेदक द्वारा घोषित आय के साक्ष्य में दस्तावेजी प्रमाण होने चाहिए.

मार्जिन :

(वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए)

1. रु.30 लाख तक के ऋण के लिए लागत का 90%
   रु. 30 लाख के ऊपर से रु.75 लाख तक के लिए ऋण लागत का 80% एवं
   रु.75 लाख से ऊपर के ऋण के लिए लागत का 75 %
   ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन.(उपर्युक्त लागत का अर्थ निर्माण / नए क्रय / विद्यमान घर / फ्लैट की लागत अथवा विद्यमान घर / फ्लैट के विस्तार की लागत (जमीन की कीमत सहित)).

2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट के मरम्मत / नवीनीकरण / विस्तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख.

3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्चात प्लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्य) का 75% .केवल प्लॉट के वित्तपोषण नहीं किया जाना चाहिए. प्लॉट की कीमत कुल हाउसिंग ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(गैर वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए)

1. रु. 75 लाख तक की ऋण राशि के लिए लागत का 80% रु.75 लाख से अधिक की ऋण राशि के लिए कुल लागत का 75%

2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट के मरम्मत / नवीनीकरण / विस्तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख .

3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्चात प्लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्य) का 75%. .

4. केवल प्लॉट के वित्तपोषण नहीं किया जाना चाहिए. प्लॉट की कीमत कुल हाउसिंग ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

चुकौती :

- अधिकतम 30 वर्ष अथवा उधारकर्ता की 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो..
- मरम्मत / नवीनीकरण के मामलों में 10 वर्ष.

ब्याज दर :

रेपो आधारित उधार दर (आरबीएलआर) = रेपो + विस्तार + ऋण जोखिम
रेपो आधारित उधार दर सीआईसी स्कोर एवं आंतरिक जोखिम रेटिंग पर आधारित है.

आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर	सीआईसी स्कोर		
	725 से अधिक सिबिल / सीआरआईएफ अथवा 750 से अधिक एक्सपीरियन	701-725 सिबिल / सीआरआईएफ अथवा 726-750 एक्सपीरियन	675-700 सिबिल / सीआरआईएफ अथवा 700-725 एक्सपीरियन
	ए	बी	सी
71-100 (सीबीआई -1 से 3 अर्थात	अीबीएलआर	अीबीएलआर +0.10	अीबीएलआर +0.20

50-70 (सीबीआई -4 से 6 अर्थात . मध्यम जोखिम)	**अीबीएलआर +0.25**	**अीबीएलआर +0.35**	**अीबीएलआर +0.45**
<50 (सीबीआई -7 से 10 अर्थात उच्च जोखिम)	**-**	**-**	**-**

50 से नीचे का आंतरिक जोखिम रेटिंग को माना नहीं जाएगा.

- *675 से कम सिबिल / सीआरआईएफ एवं एक्सीपीरियन से 700 से कम वाले ग्राहकों को नयी स्वीकृति नहीं दी जाएगी.*

सीआईसी स्कोर के आकलन का मानदंड:

- आवेदक का मिनिमम क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनी (सीआईसी) स्कोर निम्नानुसार है.:

सीआईसी का नाम	न्यूनतम प्रारंभिक सीमा
ट्रांसयूनियन सिबिल	**675**
सीआरआईएफ	**675**
एक्सपीरियन	**700**

अधिस्थगन अवधि:

अधिकतम 24 माह, निर्माण के मामलों में अधिस्थगन अवधि 18 माह से अधिक होती है 24 माह तक, पूर्व ईएमआई उधारकर्ता द्वारा देय होगी जब भी लागू हो..

प्रसंस्करण प्रभार:

ऋण राशि का 0.50% oअधिकतम रु.20,000/-

सेंट व्हिकल(वाहन ऋण)

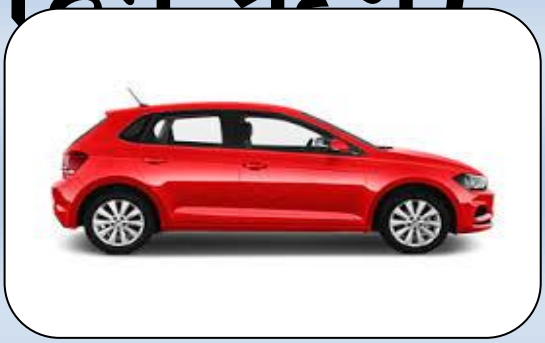

उद्देश्य :

व्यक्तिगत उपयोग (किराए पर या यात्रियों को लाने लेजाने हेतु नहीं) हेतु नए दो या

चार पहिया वाहन को खरीदने हेतु

सुविधा:

मियादी ऋण

लक्ष्य समूह:

18 वर्ष से 65 वर्ष तक के के सभी व्यक्ति. न्यूनतम आय मानदण्ड (सकल वार्षिक आय)

वैतनिक/ अवैतनिक	4 पहिया	2 पहिया

	रू.3,00,000	रू.1,80,000

अधिकतम ऋण राशि

- दोपहिया वाहन – रू.10.00 लाख .
- नया चार पहिया वाहन - रू.75 लाख(भारतीय / विदेश में बने वाहन)

मार्जिन

- रू 20 लाख तक ऋण राशि – न्यूनतम 10%
- रू 20 लाख तक ऋण राशि – न्यूनतम 20%
- ऋण "ऑन रोड लागत" (वाहन की लागत +पंजीयन शुल्क+ रोड टेक्स+ बीमा राशि) पर स्वीकृत किए जाएं. फैंसी नम्बर हेतु अतिरिक्त लागत बैंक द्वारा ऋणपोषित नहीं की जाएगी.

चुकौती अवधि माह में

प्रकार	चुकौती अवधि
2- पहिया	60 माह
4-पहिया (नया)	84 माह

पात्रता:

18 वर्ष से 65 वर्ष तक के सभी व्यक्ति जो:

i. केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय स्वशासन / रक्षा कर्मचारी / पीएसयू के कर्मचारी/ बड़े निगम/ प्रतिष्ठित संस्थान

ii. स्व रोजगारित व्यक्ति/ स्वतंत्र व्यवसायी जिनका नियमित आय का स्रोत है .

iii. भू-जोत से निरपेक्ष किसान जो कृषि उन्मुख उत्पादन में या अन्य अनुषंगी कार्यकलापों में संलग्न हैं .

iv. गैर निवासी भारतीय, भारत में, भारतीय निवासी के साथ संयुक्त रूप से जो एनआरआई का नजदीकी रिश्तेदार है. वाहन सिर्फ भारत में उपयोग हेतु है.

v. अपने बैंक के सभी स्टाफ सदस्य, परिवीक्षाधीन शामिल, एकल या संयुक्त रूप से, जीवनसाथी या बच्चों के साथ.

vi. रक्त सम्बन्धी रिश्तेदार जैसे कि मॉ, पिता, जीवनसाथी, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री जिनकी आय का नियमित स्रोत है, को सहऋणी के रूप में लिया जा सकता है. सहऋणी की आय पात्र ऋण राशि की गणना हेतु सम्मिलित की जा सकती है

vii. मित्र, दूर के रिश्तेदार जैसे कि चाचा, चाची ,भांजे, भतीजे आदि सहऋणी के रूप में पात्र नहीं हैं.

viii. आवेदकों की अधिकतम संख्या दो (2) तक सीमित है.

ix. ऋणी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने पर सहऋणी अवश्य लिए जाएं.

x. न्यूनतम आय मानदंड (सकल वार्षिक आय)

वित्त की मात्रा

I. <u>वैतनभोगी व्यक्ति</u>: -

सकल मासिक वैतन का 14 गुना, अंतिम आहरित वैतन के आधार पर .

II. <u>अन्य व्यक्तियों हेतु : -</u>: -

अंतिम 2 वर्षों की औसत वार्षिक आय का दो गुना

III. तो भी, अधिकतम ऋण राशि है :

दो पहिया – रू.10.00 लाख .

नया चार पहिया - रू.75 लाख, भारतीय/विदेशी वाहन हेतु .

प्रतिभूति

खरीदे गए वाहन का दृष्टिबंधक. वाहन पंजीयन एवं सरसाई एकीकृत किए गए हैं एवं अन्य दृष्टिबन्धक प्रभार वाहन पंजीयन के साथ पंजीकृत हैं जो सरसाई में स्वत: अद्यतन होगा. तद्नुसार यदि बैंक दृष्टिबन्धक खंड, वाहन पंजीयन के पंजीकृत है, तो वाहन के दृष्टिबन्ध प्रभार का पंजीकरण सरसाई के साथ अलग से पंजीकृत नहीं किया जाएगा.

गारंटी

i. रू5.00 लाख तक के ऋण के मामले में कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं ली जाएगी.

ii. रू5.00 लाख से अधिक ऋण होने पर निम्न मामलों में कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं ली जानी चाहिए;

ए. कोई प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूति, इसका बाजार मूल्य ऋण राशि से कम नहीं है

बी. ऋण राशि के कम से कम 50% तक तरल प्रतिभूति के प्रस्ताव पर.

सी. ऋणी ने निर्धारित मार्जिन से कम से कम दोगुना अंशदान दिया हुआ है.

डी. यदि आवेदक केंद्र/राज्य सरकार संगठन / पीएसयू/ हमारा स्टाफ है तो

ई. ऋणी का कम से कम 5 वर्षों से हमारे साथ संतुष्टिजनक बैंकिंग संबंध है.

इस मामले में व्यक्तिगत गारंटी की शर्त में छूट देने हेतु मुख्य प्रबंधक एवं उच्च पद के प्रतिनिधि निर्णय ले सकते हैं.

iii. अन्य मामलों में, ऋण राशि से कम की निवल संपत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभूति प्राप्त की जाए.

वैतनिक एवं अवैतनिक ऋणी हेतु ईएमआई/एनएमआई अनुपात

शुद्ध वार्षिक आय के अनुसार वर्गीकृत अनुपात इस प्रकार है

शुद्ध वार्षिक आय	ईएमआई/एनएमआई – से अधिक नहीं
5 तक	55%
>5- 10	60%

>10	65%

एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = सकल मासिक आय (जीएमआई) – सभी सांम्बिधिक कटौतियॉ & कर (सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित ईएम आई को छोड़कर).

ईएमआई / एनएमआई अनुपात की गणना के उद्देश्य से, विद्यमान सभी ऋणों एवं प्रस्तावित ऋण की ईएमआई को शामिल किया जाएगा इसलिए एनएमआई की गणना के उद्देश्य हेतु विद्यमान ईएमआई को सकल मासिक आय (जीएमआई) से नहीं काटा जाना चाहिए

नोट: स्वीकार्य ऋण राशि का निर्धारण नीचे लिखे मानदंड से प्राप्त निम्नतर मूल्य के आधार पर किया जाएगा

आय के मानदंड के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य राशि, वाहन की लागत (एलटीवी) या ईएमआई/ एनएमआई अनुपात, जो कम हो

सीआईसी स्कोर

आवेदक की न्यूनतम प्रारम्भिक सीमा सीआईसी स्कोर निम्नवत है :

सीआईसी का नाम	**वैतनिक ग्राहक**	**अवैतनिक ग्राहक**
ट्रांसयूनियन सिबिल	675	700
सीआरआईएफ	675	700
एक्सपीरियन	700	725

2/4 पहिया वाहन हेतु ब्याज दर

टेबिल ए : वैतनिक ऋणियों हेतु तात्कालीन ब्याज दर

आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर	725 से अधिक सिबिल/सीआरआईएफ या 750 से अधिक	701-725 सिबिल/सीआरआईएफ या एक्सपीरियन	675-700 सिबिल/सीआरआईएफ या एक्सपीरियन

	एक्सपीरियन (ए)	726-750 (बी)	700-725 (सी)
71-100 (सीबीआई-1 से 3)	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.40%)=7.25%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.50%) =7.35%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.60) =7.45%
50-70 (सीबीआई-4 से 6)	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.65%) =7.50%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.75) =7.60%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.85) =7.70%

टेबिल बी : अवैतनिक ऋणियों हेतु तात्कालीन ब्याज दर

आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर	750 से अधिक सिबिल/सीआरआईएफ या 775 से अधिक एक्सपीरियन (ए)	सिबिल/सीआरआईएफ 726-750 या एक्सपीरियन 751-775 (बी)	सिबिल/सीआरआईएफ 700-725 या एक्सपीरियन 725-750 (सी)
71-100 (सीबीआई-1 to 3)	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.40%) =7.25%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.50%) =7.35%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.60%) =7.45%
50-70 (सीबीआई -4 to 6)	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.65%) =7.50%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.75%) =7.60%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.85%) =7.70%

सेन्ट विद्यार्थी

ऋण का उद्देश्य

- भारत एवं विदेश में उच्च शिक्षा पाने के लिए

पात्रता

- विद्यार्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए.
- एचएससी (10 +2 या समकक्ष) के पूरा होने के बाद भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा / योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन सुनिश्चित हो.
- जहां कोई प्रवेश परीक्षा/मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया नहीं है और प्रवेश विशुद्ध रूप से पात्रता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर है, वहां छात्र को पात्रता

परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए. (अजा/अजजा वर्ग के लिए 10% की छूट)

ऋण का प्रकार

सावधि ऋण

मान्य व्यय के लिए ऋण

- महाविद्यालय/विद्यालय/छात्रावास को दी जाने वाली शुल्क
- परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
- विदेश में पढ़ाई के लिए यात्रा खर्च/मार्ग व्यय
- छात्र उधारकर्ता के लिए बीमा प्रीमियम, यदि लागू हो
- जमानत राशि, भवन निधि/ संस्था के बिल/रसीद से देय वापस की जाने वाली
- पुस्तकों/उपकरणों/यंत्र/यूनिफर्म की खरीद हेतु
- पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो उचित कीमत पर कंप्यूटर की खरीद हेतु
- पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अन्य खर्च - जैसे स्टडी टूर, परियोजना कार्य, थीसिस आदि
- आवश्यक ऋण की गणना करते समय, छात्र ऋण लेने वाले को छात्रवृत्ति, शुल्क माफी आदि, यदि कोई उपलब्ध हो, को ध्यान में रखा जा सकता है

अधिकतम ऋण राशि

- यदि ऋण राशि 100% कोलेटरल प्रतिभूति के तहत सुरक्षित है तो, ऋण की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

मार्जिन

- रु. 4 लाख तक : शून्य,
- भारत में रु. 4 लाख से अधिक के लिए : 5% ,

- विदेश में रु.4 लाख से अधिक के लिए : 15% मार्जिन
- मार्जिन को छात्रवृत्ति में शामिल की जा सकती है.

ब्याज दर

उधारकर्ता के प्रकार	ब्याज दर
पुरुष विद्यार्थी(भारत , विदेश)	रेपो+ 5.00= 9.00%
महिला विद्यार्थी(भारत , विदेश)	रेपो+ 4.500= 8.50%

प्रोत्साहन

- यदि मोरिटोरियम अवधि के बाद की जाने वाली चुकौती से पहले ही एवं शिक्षा-अवधि के दौरान ब्याज दी जाती है तो, बैंक द्वारा शिक्षा-अवधि के दौरान ब्याज दर में 1% की छूट दी जा सकती है.
- चुकौती अवकाश (रीपेमेंट होलीडे)/ अधिस्थगन अवधि (मोरिटेरियम)के दौरान ब्याज की गणना साधारण आधार पर की जाती है. पहली किस्त की देय तिथि से मासिक अंतराल पर ब्याज संयोजित किया जाएगा.

संवितरण

कॉलेज/हॉस्टल/मैस/एयरलाइंस आदि को सीधे भुगतान की जायेगी. समुचित मामलों में संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर उधारकर्ता के खाते में संवितरण किया जाएगा, जिसमें मूल रसीदें जमा करनी होंगी.

चुकौती

- पढ़ाई पूरी होने के 12 महीने बाद या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद, जो भी पहले हो, चुकौती उसी समय से शुरू होगी.
- रु.7.50 लाख तक की राशि वाले ऋण के लिए अधिकतम चुकौती अवधि 10 वर्षों तक है.

- रु.7.50 लाख से अधिक की राशि वाले ऋण के लिए अधिकतम चुकौती अवधि 15 वर्षों की होगी. सभी चुकौती क़िस्त के आधार पर होगी.

प्रतिभूति

रु.4 लाख तक	माता-पिता/अभिभावक संयुक्त-उधारकर्ता होंगे. ऋण की किश्तों के भुगतान के लिए छात्र की भावी आय का समनुदेशन. कोई प्रतिभूति नहीं. एनसीजीटीसी कवर लेना.
रु.4 लाख से अधिक एवं रु.7.5 लाख तक	संयुक्त उधारकर्ता के रूप में दस्तावेजों को निष्पादित करने वाले माता-पिता/अभिभावक के अलावा, किश्तों के भुगतान के लिए छात्र की भविष्य की आय के असाइनमेंट के साथ उपयुक्त तृतीय पक्ष गारंटी के रूप में संपार्श्विक सुरक्षा ली जाएगी. NCGTC कवर लेना है.
रु.7.5 लाख से अधिक के लिए	माता-पिता/अभिभावक का संयुक्त उधारकर्ता होना. किश्तों के भुगतान के लिए छात्र की भविष्य की आय के असाइनमेंट के साथ-साथ ऋण राशि के बराबर और बैंक को स्वीकार्य न्यूनतम मूल्य की मूर्त संपार्श्विक सुरक्षा.

बीमा

ऋण राशि के बराबर शैक्षिक ऋण प्राप्त करने वाले छात्र के लिए, ऋण अवधि की न्यूनतम अवधि (अर्थात, पाठ्यक्रम अवधि + अधिस्थगन अवधि + चुकौती अवधि) के लिए कम्प्रिहेंसिव जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त की जानी चाहिए और बैंक के पक्ष में सौंपी जानी चाहिए.

केन्द्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईसीसी):

- यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना 'आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना' पर आधारित है, सब्सिडी केवल भारत में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों (12 वीं कक्षा के बाद) के लिए दिए गए ऋण के लिए लागू है.

- यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यहाँ तक कि रु.10 लाख से अधिक ऋण होने पर भी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए रु.10 लाख तक ही पात्र हैं.

प्रबंधन कोटे के तहत विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण

- प्रबंधन कोटे के तहत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शैक्षिक ऋण आईबीए मॉडल शिक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं.
- ये ऋण एमओएचआरडी की सेंट्रल सेक्टर ब्याज सबसिडी योजना के लिए पात्र नहीं है.
- हालांकि, प्रबंधन कोटे की सीटों के तहत शाखाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक ऋण देने पर विचार कर सकती हैं, यदि वहां रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हों-

शुल्क संरचना	शुल्क का भुगतान/प्रतिपूर्ति भुगतान सीटों के लिए राज्य सरकार/सरकार द्वारा अनुमोदित नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना तक ही सीमित है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फंडिंग गैप को पूरा करने के लिए छात्र के पास वित्तीय संसाधन हों.
प्रतिभूति	माता-पिता/अभिभावक को संयुक्त उधारकर्ता होना चाहिए। रु.7.50 लाख तक के ऋण के लिए एनसीजीटीसी कवर लिया जाएगा। ऋण राशि के बावजूद, किश्तों के भुगतान के लिए विद्यार्थी की भविष्य की आय के समनुदेशन के साथ ऋण राशि के बराबर न्यूनतम मूल्य और बैंक को स्वीकार्य 100% मूर्त संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की जानी चाहिए.
अन्य	सेन्ट विद्यार्थी योजना के लिए लागू अन्य सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया जाएगा.

प्रक्रिया शुल्क

- भारत में अध्ययन के लिए इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण पर कोई प्रसंस्करण /अग्रिम शुल्क नहीं लगाया जा सकता है.

- विदेश में पढ़ाई के लिए, आवेदनों पर विचार करते समय रु.10 लाख तक के ऋण के लिए रु.500/- और रु.10 लाख से अधिक के ऋण के लिए रु.1000/- का शुल्क लिया जाएगा, लेकिन ऋण स्वीकृति के छ: माह के भीतर यदि छात्र द्वारा ऋण का उपयोग किया जाता है तो शुल्क वापस हो जायेगा.

एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए सेन्ट विद्यार्थी

एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए ऋण योजना

पात्रता

- विद्यार्थी को एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और सरकार/कॉर्पोरेट/बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए.
- विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए.
- भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित संस्थान के एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में प्रवेश या अंतिम चयन की सूचना प्राप्त होनी चाहिए।

सह-उधारकर्ता

अनुसूची-बी के लिए वैकल्पिक एवं अनुसूची-ए के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष के लिए सह-उधारकर्ता की शर्त अनिवार्य है, सह-उधारकर्ता / संयुक्त उधारकर्ता सामान्य रूप से उधारकर्ता विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक होने चाहिए.

विवाहित व्यक्ति के मामले में, संयुक्त उधारकर्ता पति/पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर हो सकते हैं.

ऋण की प्रमात्रा

रु.20.00 लाख. अनुमत की गई ऋण राशि 100% लिक्विड कोलेट्रल के बराबर होने की स्थिति में रु.20 लाख से अधिक की अनुमति होगी.

मार्जिन:

शून्य

प्रतिभूति :

- कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं, कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं, छात्र के भविष्य के आय को हीं आधारित किया जाए.
- ऋण की पूरी अवधि के लिए छात्र के जीवन के लिए एकमुश्त प्रीमियम आधारित टर्म पॉलिसी को स्वीकृत सीमा की सीमा के भीतर भुगतान के लिए विचार किया जाएगा।

ब्याज की दर :

शीर्षस्थ 5 आई.आई.एम.

अनुसूची ए

- आई.आई.एम , अहमदाबाद
- आई.आई.एम, बैंगलोर
- आई.आई.एम, कोलकाता

अनुसूची बी

- आई.आई.एम, इंदौर
- आई.आई.एम, लखनऊ

अनुसूची	आईआईएम का नाम	मौजूदा ब्याज की दर	पुनरीक्षित ब्याज की दर
ए	आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर एवं कोलकाता	रेपो रेट +3%= 7%	**रेपो रेट +2.85%= 6.85%**
बी	आईआईएम इंदौर एवं लखनऊ	रेपो रेट+3.50%= 7.50%	**रेपो रेट +3.35%= 7.35%**
बी (महिला/अजा/अजजा)	केवल आईआईएम इंदौर एवं लखनऊ	रेपो रेट+3%= 7%	**रेपो रेट +2.85%= 6.85%**

मौजूदा श्रेष्ठ 5 आईआईएम के अतिरिक्त एवं संस्थानों के लिए ब्याज दर निम्नानुसार है-

अनुसूची	रेपो रेट (अस्थायी)	प्रसार		मौजूदा ब्याज की दर (%)
		जोखिम रेटिंग प्रीमियम	अन्य घटक	निम्न और माध्यम
		निम्न और मध्यम जोखिम		
A	4.00	0.00	3.00	7.00
B	4.00	0.00	3.50	7.50
B (महिला/अजा/अजजा)	4.00	0.00	3.00	7.00
C	4.00	0.00	4.25	8.25

प्रक्रिया शुल्क: शून्य

चुकौती

- पाठ्यक्रम पूरा होने के 3 माह के उपरांत क़िस्त की चुकौती आरम्भ होगी.
- ऋण राशि रु.7.50 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए 8 वर्ष की अवधि तक एवं ऋण राशि 7.50 लाख रुपये से अधिक होने पर 12 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण क़िस्त में चुकाया जा सकता है..

उन संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है, जिनके विद्यार्थी एक्जीक्यूटिव एमबीए के अंतर्गत ऋण हेतु पात्र हैं-

	अनुसूची – ए
1	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात
2	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक
3	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
4	जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट (एक्स. एल. आर. आई.), जमशेदपुर
	अनुसूची - बी
1	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश तथा मुंबई कैम्पस
2	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, उत्तराखण्ड
3	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीखोडे, केरल
4	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.
5	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छतीसगढ़
6	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची, झारखंड
7	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक, हरियाणा
8	भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलाँग, मेघालय

9	भारतीय प्रबंधन संस्थान, त्रिची, तमिलनाडु
10	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर, राजस्थान
11	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया, बिहार
12	भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
13	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर
14	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम
15	जेवियर यूनिवर्सिटी फॉर भुबनेश्वर कैम्पस (एक्स.आई.एम.बी.)
16	एस.पी. जैन प्रबंधन तथा शोध संस्थान (एस.पी.जे.एम.आर.), मुंबई
17	प्रबंधन विकास संस्थान (एम.डी.आई.), गुड़गाँव
18	फैकल्टी ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडी (एफएमएस) – दिल्ली विश्वविद्यालय
19	जमना लाल बजाज प्रबंधन शिक्षण संस्थान
	अनुसूची – सी
1	सिम्बोसिस प्रबंधन संस्थान
2	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान - आईआईएफटी
3	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) - हैदराबाद

सेंट स्किल लोन

<table>
<tr><th colspan="2">सेंट स्किल लोन (व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण)विद्यार्थी की पात्रता</th></tr>
<tr><td>विद्यार्थी की पात्रता</td><td>छात्र एक भारतीय नागरिक होना चाहिये और उसने सरकार के मंत्रालय / विभाग/ संगठन या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल मिशनों / राज्य कौशल निगमों द्वारा समर्थित एक कम्पनी / सोसायटी / संगठन द्वारा संचालित या समर्थित पाठ्यक्रम; अधिमानतः एक सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / अधिकृत सनठन जो ऐस करने हेतु अधिकृत है, के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री. आदी के लिये अग्रणी में प्रवेश पाने की आर्हता प्राप्त की है.</td></tr>
<tr><td>वित्त की मात्रा</td><td>ब्ययों को पूरा करने के लिये आवश्यकता आधारित वित्त पर विचार किया जाएगा, जो निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगा :
<table>
<tr><td>न्यूनतम</td><td>Rs.5,000/-</td></tr>
<tr><td>अधिकतम</td><td>Rs.1,50,000/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>मार्जिन</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>ब्याज की दर</td><td>आर.बी.एल.आर. (रेपो रेट + प्रसार + सी.आर.पी. (क्रेडिट रिस्क प्रीमियम)
क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, जोखिम के कैटेगरी के अनुसार होगा .</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>

सी.बी.आई.-1 से सी.बी.आई.-3 रेटेड उधारकर्ता निम्न जोखिम के हैं .
सी.बी.आई.-4 से सी.बी.आई.-6 रेटेड उधारकर्ता मध्यम जोखिम के हैं .

लागू रेपो से लिंक ऋण दर निम्नानुसार होंगे
<table>
<tr><td>आर.बी.एल.आर.</td><td colspan="2">सी.आर.पी. (क्रेडिट रिस्क प्रीमियम)</td><td colspan="2">ब्याज की दर</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.85</td><td>निम्न जोखिम</td><td>मध्यम जोखिम</td><td>निम्न जोखिम</td><td>मध्यम जोखिम</td></tr>
<tr><td>1.80</td><td>1.85</td><td>8.65</td><td>8.70</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>प्रसंस्करण शुल्क</td><td>कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं .

रु. 81 की ए.पी.आई. एकीकरण शुल्क + जी.एस.टी. की वसुली की जायेगी.

छात्र उधारकर्ता के सफल आवेदन में से वी.एल.पी. शुल्क @ रु. 100 + जी.एस.टी. की वसुली की जायेगी.</td></tr>
<tr><td>प्रतिभूति</td><td>कोई संपार्श्विक या तृतीय पक्ष की गारंटी नहीं ली जायेगी. हालांकि, विद्यार्थी के मात-पिता छात्र के साथ संयुक्त उधारकर्ता के रूप में ऋण दस्तावेज निष्पादित करेंगे.</td></tr>
<tr><td>पुनर्भुगतान</td><td>ऋण स्थगन अवधि के बाद ऋन को समान मासिक किश्तों (ई.एम.आई.) में निम्नानुसार चुकाया जायेगा :

रु. 50,000/- तक का ऋण – तीन वर्षों तक</td></tr>
</table>

	रु. 50,000/- से रु. 1 लाख तक का ऋण – पांच वर्षों तक रु. 1 लाख से अधिक का ऋण – सात वर्षों तक

सेंट विद्यार्थी – आई.आई.एम तथा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों के लिए

सेंट विद्यार्थी – आई.आई.एम तथा अन्य संस्थानों के लिए

अधिकतम ऋण राशि :

रु. 40 लाख

उधारकर्ता/संयुक्त उधारकर्ता :

छात्र के नाम पर हीं ऋण प्रदान किया जाये.

छात्र के माता-पिता/अभिभावक/पति या पत्नी/सास-ससुर को भी संयुक्त उधारकर्ता बनाया जा सकता है |

मार्जिन :

मार्जिन नहीं

प्रतिभूति :

कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं, कोई तृतीय पक्ष की गारंटी नहीं, छात्र के भविष्य की आय का समनुदेशन किया जाए.

शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए बैंक के पक्ष में निर्दिष्ट ऋण अवधि (यथा; पाठ्यक्रम अवधि + अधिस्थगन अवधि + पुनर्भुगतान की अवधि) की न्यूनतम अवधि के लिए न्यूनतम ऋण राशि तक व्यापक जीवन बीमा पॉलिसी हो.

स्वीकृत सीमा की सीमा के भीतर ऋण की पूरी अवधि के लिए छात्र के जीवन की एकमुश्त प्रीमियम आधारित टर्म पॉलिसी को ऋण भुगतान की सुरक्षा के लिए लिया जाएगा।

ब्याज की दर :

शीर्षस्थ 5 आई.आई.एम.

1. आई.आई.एम , अहमदाबाद
2. आई.आई.एम, बैंगलोर
3. आई.आई.एम, कोलकाता
4. आई.आई.एम, इंदौर
5. आई.आई.एम, लखनऊ

शीर्षस्थ 5 आई.आई.एम. के लिए विद्यमान तथा संशोधित ब्याज की दर निम्नानुसार है :

विद्यमान ब्याज दर				संशोधित ब्याज दर			
वर्त्तमान रेपो रेट (अस्थायी)	प्रसार		वर्त्तमान ब्याज की दर (%)	वर्त्तमान रेपो रेट (अस्थायी)	प्रसार		वर्त्तमान ब्याज की दर (%)
	जोखिम रेटिंग प्रीमियम	अन्य घटक			जोखिम रेटिंग प्रीमियम	अन्य घटक	
	निम्न और मध्यम जोखिम		निम्न और माध्यम जोखिम		निम्न और माध्यम जोखिम		निम्न और माध्यम जोखिम
4.00	0.00	3.00	7.00	4.00	0.00	2.85	6.85

अन्य सभी आई.आई.एम तथा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों के लिए ब्याज की दर निम्नानुसार होगी,

आई.आई.एम. तथा 4 प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची

क्रम.सं.	आई.आई.एम.
1	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात
2	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक
3	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
4	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश तथा मुंबई कैम्पस
5	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, उत्तराखण्ड
6	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीखोडे, केरल

7	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.
8	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छतीसगढ़
9	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची, झारखंड
10	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक, हरियाणा
11	भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलाँग, मेघालय
12	भारतीय प्रबंधन संस्थान, त्रिची, तमिलनाडु
13	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर, राजस्थान
14	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर, पंजाब
15	आई.पी.एम. कार्यक्रम के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर तथा आईआईएम के अन्य समान एकीकृत 5 वर्षीय कार्यक्रम
16	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया, बिहार
17	भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर
18	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर
19	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम
20	भारतीय प्रबंधन संस्थान, संबलपुर

क्रम. सं.	अन्य प्रतिष्ठित संस्थान
1	जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट (एक्स. एल. आर. आई.), जमशेदपुर
2	जेवियर यूनिवर्सिटी फॉर भुबनेश्वर कैम्पस (एक्स.आई.एम.बी.)
3	एस.पी. जैन प्रबंधन तथा शोध संस्थान (एस.पी.जे.एम.आर.), मुंबई
4	प्रबंधन विकास संस्थान (एम.डी.आई.), गुड़गाँव
5	आईआईटी दिल्ली का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम
6	आईआईटी मुम्बई का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम
7	आईआईटी रुड़की का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम

8	आईआईटी मद्रास का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम
9	आईआईटी खानपुर का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम

सेंट व्यक्तिगत ऋण योजना

उद्देश्य:

व्यक्तिगत/घरेलू व्ययों की पूर्ति हेतु

पात्रता :

रैलवे, सरकारी संस्थाएं, केंद्र व राज्य सरकार, स्कूल, अस्पताल, नगरपालिका निकाय आदि के स्थायी कर्मचारी जिन्होनें अपनी सर्विस का एक वर्ष पूर्ण कर लिया है
या भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पुष्टिकृत / स्थायी कर्मचारी जिन्होनें कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण की है.

ऋण की प्रमात्रा:

सकल वेतन का 20 गुना अधिकतम रू 10,00,000/ एवं न्यूनतम निवल वेतन, साम्बिधिक देयों, प्रस्तावित ऋण की किस्त के साथ विभिन्न ऋणों की चुकौती को ध्यान में रखते हुए सकल वेतन का 40% होगा

ब्याज दर:

आरबीएलआर + रेपो + स्प्रेड + साख जोखिम प्रीमियम

1. निम्न वर्ग : रेपो + 5.85% + 0.00% = 9.85%

2. मध्यम जोखिम वर्ग : रेपो + 5.85% + 0.200%= 10.05%
   (रेपो रेट = 4.00%)

चुकौती :

48 एक समान मासिक किस्तें.

प्रक्रिया शुल्क:

रू 500+ जीएसटी

सेंट व्यक्तिगत गोल्ड ऋण

उद्देश्य

- कृषि सम्बन्धी व्यय के अलावा आकस्मिक व्यक्तिगत व्यय जैसे कि विवाह/ चिकित्सा/ शेक्षणिक आवश्यकताओं आदि की पूर्ति हेतु.

सुविधा की प्रकृति

- 22 कैरेट शुद्ध सोने के गहनों या हमारे बैंक द्वारा बेचे सोने के सिक्कों (प्रति व्यक्ति अधिकतम 50 ग्राम) के गिरवी के विरुद्ध मांगऋण

प्रतिभूति

- हमारे बैंक द्वारा बेचे सोने के सिक्कों या 22 कैरेट शुद्ध सोने के गहनों को गिरवी रखना

ऋण की प्रमात्रा

- न्यूनतम रू 10000/ - अधिकतम रू 20,00,000/

मार्जिन:

- स्वीकृति के समय के मूल्य का 30%

ऋण की अधिकतम सीमा प्रति ग्राम दि: 21.06.2021 से

- सोने के गहनों के प्रति ग्राम पर रू 3100/ या 22 कैरेट सोने के तात्कालिक बाजार मूल्य का 70%, जो कम हो
- बैंक द्वारा बेचे गए सोने के सिक्कों के मामले में सोने के सिक्कों के प्रति ग्राम पर रू 3400/ या 24 कैरेट सोने के तात्कालिक बाजार मूल्य का 70%, जो कम हो.
- इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाए कि सोने के सिक्कों की प्रतिभूति के विरुद्ध अग्रिम के मामले में गिरवी रखे गए सोने के सिक्कों का वजन प्रति ऋणी 50 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए
- सोने के बाजार मूल्य के आधार पर आहरण अधिकार की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी

चुकौती

- ऋण की अवधि स्वीकृति तिथि से 12 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए

प्रक्रिया शुल्क

- ऋण राशि का 0.5% + कर + लागू मूल्यांकक फीस .

ब्याज दर

रेपो आधारित ऋण दरें दि: 30.05.2020

- आरबीएलआर = रेपो+ स्प्रेड + साख स्प्रेड निम्न/मध्यम जोखिम = 4.00+5.05 =9.05%

सेन्ट स्वाभिमान प्लस

सेन्ट स्वाभिमान प्लस – (रिवर्स मोर्टगेज लोन)

उद्देश्य:
फ्लैट / मकान के मालिक और कब्जे वाले वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

पात्रता:

वरिष्ठ नागरिक की प्रवेश आयु 60 से 99 वर्ष होनी चाहिए। विवाहित जोड़े वित्तीय सहायता के लिए संयुक्त उधारकर्ता के रूप में पात्र होंगे। स्व-अर्जित, विरासत में मिली या उपहार में दी गई, स्व-अधिकृत आवासीय संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। संभावित उधारकर्ताओं को उस आवासीय संपत्ति का उपयोग प्राथमिक रूप से स्थायी निवास के रूप में करना चाहिए।

प्रयोजन

बीमा कंपनी से आजीवन वार्षिक लाइफ टाइम एन्युटी की खरीद के लिए भुगतान. उधारकर्ता को बैंक के पक्ष में समनुदेशित योग्य व्यक्तिगत पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा।

ऋण राशि

जैसा कि बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया है, ऋण की राशि आवासीय संपत्ति के बाजार मूल्य, उधारकर्ताओं की आयु, और प्रचलित ब्याज दर पर निर्भर करेगी। आवासीय संपत्ति का न्यूनतम मूल्य 10 लाख रुपये होना चाहिए।

भुगतान की प्रकृति

ऋण घटक में उधारकर्ता को सीधे बैंक से उसके द्वारा प्राप्त एकमुश्त ऋण भुगतान राशि और बीमा कंपनी को भुगतान किए गए पॉलिसी के खरीद मूल्य का योग होगा।

बीमा कंपनी उधारकर्ता के वार्षिकी भुगतान को उधारकर्ता के पूर्व उल्लेखित बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सीधे प्रेषित करेगी

ब्याज की दर

आरबीएलआर = रेपो + स्प्रेड+ क्रेडिट जोखिम प्रीमियम
न्यून /मध्यम जोखिम श्रेणी: रेपो+ 3.65% + 0.00% = 7.65%
(रेपो दर 4.00%)

प्रसंस्करण शुल्क

ऋण राशि का 0.15% न्यूनतम रु. 500/- और अधिकतम रु. 10,000/-

ऋण अवधि

अधिकतम ऋण संवितरण अवधि जीवित उधारकर्ता की अंतिम मृत्यु तक होगी।

ऋण निपटान

ऋण तभी देय और भुगतान योग्य होगा जब अंतिम जीवित उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है या वह घर बेचना चाहता है, या स्थायी रूप से किसी वृद्ध देखभाल संस्था या रिश्तेदारों के लिए बाहर निकल जाता है। संचित ब्याज के साथ ऋण का निपटान खरीद मूल्य और/या आवासीय संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय से पूरा किया जाना है। अन्य संपत्ति या संपदा या मृतक के उत्तराधिकारी ऋण राशि के निपटान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

ऋण का पूर्व भुगतान

उधारकर्ता(ओं) के पास ऋण अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण का पूर्व भुगतान करने का विकल्प होगा। बैंक कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं लगाएगा। बैंक ऐसे पूर्व भुगतान के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करेगा।

समर्पण विकल्प

रिवर्स मॉर्टगेज ऋण के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसी को रिवर्स मॉर्टगेज ऋण के पूर्ण मोचन निषेध पर पॉलिसी की आरंभ तिथि से किसी भी समय सरेंडर किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

II विकल्प II-एसयूडी लाइफ आर एम एल ईए खरीद मूल्य की वापसी के साथ:

यह वरिष्ठ नागरिकों (स्वयं और जीवनसाथी के लिए) को अंतिम जीवित वार्षिकीदार की मृत्यु तक एक प्रकार का आजीवन वार्षिकी भुगतान है। अंतिम जीवित वार्षिकीदार की मृत्यु के मामले में, बीमा कंपनी (वार्षिकी प्रदाता) समनुदेशिती (बैंक) को खरीद मूल्य (प्रारंभिक शुद्ध प्रीमियम राशि) लौटाती है। बैंक इसका उपयोग ऋण के आंशिक समायोजन के लिए कर सकता है.

कृषि ऋण योजनायेँ

भूमिका

जैसा कि हम सभी को विदित है कि देश के आर्थिक विकास में बैंकों का महत्व एक निर्विवादित है.भारत की अर्थव्यवस्था मूलत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था है एवं जिसके विकास में बैंकों की अनवरत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सेवा क्षेत्र के सीमांकन के माध्यम से देश के प्रत्येक गांव को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया है.यद्यपि अब सेवा क्षेत्र की अवधारणा को शिथिल कर दिया गया है ताकि बैंक निश्चित परिसीमा से अन्यत्र भी बैंकिंग सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध करवा सकें.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हमारी योजना प्रक्रिया का एक प्राथमिक विषय है. तद्नुसार स्थायी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली सुधारने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग एक नोडल संगठन है जो ग्रामीण जनता के सर्वांगीण उत्थान करने के लिए समर्पित है. यह विस्तृत पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है. योजना का लक्ष्य ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना, गरीबी हटाने, रोजगार सृजन, मूल संरचना विकास औरसामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. विभाग आवश्यक सहायता सेवा भी प्रदान करता है और अन्य गुणवत्ता इनपुट जैसे कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई एस) के सुदृढीकरण के लिए सहायता, प्रशिक्षण और अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, स्वैच्छिक कार्यों का विकास आदि, योजनाओं और कार्यक्रमों के नियमित रूप से क्रियान्वयन करना है.

बैंक अपने ग्रामीण वित्त हेतु आबंटित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकारी योजनाओं एवं बैंक की कृषि आधारित योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने हेतु लक्ष्य निर्धारित करती है.इसी कड़ी में वार्षिक साख योजना के माध्यम से बैंक अपनी शाखाओं में माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने में सफ़ल होते हैं, जिसके कारण देश के कृषि क्षेत्र के माध्यम से संतुलित आर्थिक विकास के क्रियान्वयन को निश्चित दिशा मिलती है.साख योजना में नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक एवं जिले/ राज्य में कार्यरत बैंकों के सहयोग एवं सहमति से रणनीति तैयार की जाती है .ग्रामीण वित्त के माध्यम से स्वंय सहायता समूह, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग व महिला वर्ग को बैंक ऋण सुविधा प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग मिलता है.इन सबके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन आवश्यक होता है एवं इसके साथ ही बैंकों को त्वरित एवं सरल सेवाएं प्रदान की जानी आवश्यक है.

भारतीय कृषि का इतिहास

हमारी कृषि लंबे समय से पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी और हम अपने लोगों के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर पाते थे. हमारे देश को अन्य देशों से अनाज खरीदने की जरूरत होती थी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं. भारत अपनी आवश्यकताओं के मुकाबले अधिक अनाज का उत्पादन कर रहा है. कुछ खाद्यान्नों को अन्य देशों में भेजा जाता है. अत्यधिक सुधार किये गये है. कृषि हमारी पांच साल की योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लाई गई है. अब हमारे देश खाद्यान्नों के मामले आत्मनिर्भर हैं. यह अब अधिशेष अनाज और अन्य कृषि उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने की स्थिति में है.

अब भारत को चाय और मूंगफली के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान प्राप्त है. यह चावल, गन्ना, जूट और तेल के बीज के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है. आज़ादी के पहले हमारी कृषि बारिश पर निर्भर थी. इसके परिणामस्वरूप हमारा कृषि उत्पाद बहुत छोटा था. अगर मानसून अच्छा होता था, तो हमें अच्छी फसल मिलती थी और यदि मानसून अच्छा नहीं आता था, तो फसलों की पैदावार खराब हो जाती थी और देश के कुछ हिस्सों में अकाल आ जाता था.

सरकार की कृषि के लिए योजनायें

आजादी के बाद हमारी सरकार ने अपनी कृषि के विकास के लिए कई योजनायें बनाई है. भूमि के सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए कई प्रमुख नदियों पर नहरों और बांधों का निर्माण किया गया. जहां नहर का पानी नहीं पहुँच पाता है, उस क्षेत्र की सिंचाई के लिए किसानों को ट्यूब-कुओं और पंप-सेट प्रदान किए गए. कृषि में बेहतर बीज, उर्वरक और नई तकनीकियों के प्रयोग ने कृषि में हरित क्रांति नामक एक क्रांति आयी है, जिस कारण हमारे कृषि उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी आई है, लेकिन प्रगति अभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है. हमारी आबादी

तेजी से बढ़ रही है हर साल हमारे यहाँ “लाखों बच्चे पैदा होते हैं, हमें जिनकी खाने की पूर्ति करना है. हमें इस तेजी से बढ़ती आबादी की जांच करनी चाहिए.

पहले के समय में हमारे पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधाऐं नहीं थी. किसान मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर थे. नहरों और ट्यूब-वेल बहुत कम थे. पांच साल की योजना के तहत हमारी सरकार ने कई नदियों पर बांध बनाए हैं. भाखड़ा-नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुद बांध, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध इनमें से कुछ बांध हैं. आज हमारे उद्योगों और कृषि और बिजली पैदा करने के लिए बड़े झीलों और जलाशयों में जल एकत्रित है. बांधों का जल सिंचाई के लिए दूर भूमि में नहरों द्वारा लाया जाता है. किसानों के लिए ट्यूब कुओं और पम्पिंग सेट की आपूर्ति की गई है. अब अधिक भूमि सिंचित है और बेहतर फसलों का उत्पादन किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

देश में छोटे व्यावसायियों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई यह सबसे क्रांतिकारी योजना है.इस योजना के माध्यम से देश के लगभग छह करोड परिवारों को उनके व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है.इससे देश की 30 करोड आबादी सीधे लाभान्वित होगी.यह देश की कुल आबादी की करीब एक चौथाई है.मुद्रा सूक्ष्म इकाईयों के विकास तथा पुनर्वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा गठित एक नयी संस्था है.इसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2016 के बजट को पेश करते समय की थी.मुद्रा का उद्देश्य गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र को निधि पोषण कराना है.मुद्रा एक पुनर्वित्त संस्था होगी, जो अंतिम छोर के वित्त

पोषकों को निधियां उपलब्ध कराएगी, ताकि वे इस क्षेत्र को वित्त पोषण उपलब्ध करा सके.

हमारे मस्तिष्क में **'मुद्रा' (MUDRA**) का वास्तविक अर्थ ज्ञात करने की जिज्ञासा हो रही होगी.हम इसके अर्थ को **'माईक्रो यूनिट्स डवलपमेंट एंड रिफाइनेन्स एजेन्सी लि.'** के पूर्ण नाम से जान सकते हैं.यह एक पुनर्वित्त एजेन्सी है न कि प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्था.मुद्रा अपनी ऐसी मध्यवर्ती संस्थाओं जैसे – बैंकों अल्प वित्त संस्थाओं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करता है जो गैर कृषि क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधियों को उधार देने का व्यवसाय करती है और जो पुनर्वित्त पाने के पश्चात लाभग्रहियों का वित्तपोषण करेगी.मुद्रा कार्ड एक नवोन्मेषी ऋण उत्पाद है, जिसमें उधारकर्ता बिना किसी झंझट के लचीले तरीके से उधार ले सकता है.यह उधारकर्ता को नकद साख, अधिविकर्ष के रूप में कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करेगा.चूंकि मुद्रा कार्ड रूपे डेबिट कार्ड होगी.इसलिए यह ए टी एम से या बिजनेस करेस्पॉण्डेंट से नगद राशि निकालने अथवा विक्रय बिन्दु (सेल ऑफ पाईंट) मशीन इस्तेमाल करके खरीद करने में इस्तेमाल हो सकता है.जब कभी धन की बचत हुई तब वह राशि लौटाने की सुविधा भी है, ताकि ब्याज का बोझ कम हो सके.

मुद्रा की भूमिका एवं दायित्व: मुद्रा अंतिम छोर पर स्थित उन सभी वित्त पोषकों जैसे लघु व्यवसायों के वित्त पोषण में संलग्न विभिन्न प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, समितियों, न्यासों, धारा 8 (पूर्ववर्ती धारा 25) की कंपनियों सहकारी समितियों, छोटे बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा, जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा गतिविधियों में लगी सूक्ष्म लघु व्यवसाय इकाईयों को ऋण प्रदान करते हैं.यह बैंक राज्य क्षेत्रीय स्तर के मध्यवर्ती समन्वयकों के

साथ भागीदारी करेगा ताकि लघु सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों के अंतिम छोर पर स्थित वित्तपोषक को वित्त उपलब्ध कराया जा सके.

मुद्रा से सुविधाएं: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में मुद्रा ने पहले से ही प्रारंभिक उत्पाद योजनाएं तैयार कर ली है.इन पहल कदमियों को शिशु, किशोर तथा तरूण नाम दिए गए हैं.इनकी सीमाएं निम्नवत है –

शिशु : 50000/- तक के ऋण हेतु.
किशोर : 50000/- से अधिक तथा 5 लाख तक के ऋण हेतु.
तरूण : 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण हेतु.

मुद्रा की कार्य पद्धति : मुद्रा राज्य/ क्षेत्रीय स्तर की मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से एक पुनर्वित्त संस्था के रूप में काम करेगा.मुद्रा की ऋण प्रणाली इस प्रकार परिकल्पित है,जिसमें अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं जैसे बैंकों, प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं आदि के साथ-साथ मुख्यतया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अल्प वित्त संस्थाओं के जरिए पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा.साथ ही जमीनी स्तर पर वितरण चैनल का विकास तथा विस्तार करने की भी आवश्यकता है.इस संदर्भ में कंपनियों, न्यासों समितियों, संघों तथा अन्य नेटवर्कों के रूप में पहले से ही बड़ी संख्या में अंतिम छोर के वित्त पोषक मौजूद है, जो लघु व्यवसायों को, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर निगमित लघु व्यवसाय घटक (एन सी एस बी एस) जिनमें ऐसी लाखों प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप फर्में शामिल है, जो लघु विनिर्माण इकाइयों, सेवा क्षेत्र की इकाइयों, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा व्यवसाय चलाते हैं को अनौपचारिक वित्त उपलब्ध करा रहे हैं.

मुद्रा ऋण देने वाली एजेंसियां: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी एम एम वाई) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों जैसे पी एस यू बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध होगी.8 अप्रेल 2015 के बाद से गैर कृषि क्षेत्र में आय अर्जक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए 10 लाख तक के सभी ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाहित माना जाएगा.

मुद्रा ऋण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निगरानी राज्य स्तरीय बैंकर समिति के जरिए सभी राज्यों में एवं राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा की जायेगी.इस उद्देश्य हेतु मुद्रा ने एक पोर्टल विकसित किया है, जिसमें बैंक तथा अन्य ऋणदात्री संस्थाएं सीधे अपनी उपलब्धि के विवरण भरेगी.

मुद्रा ऋण की पात्रता : मुद्रा ऋण की प्राथमिक शर्त यह है कि वह विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधि के लिए होना चाहिए तथा ऋण राशि 10 लाख से कम होनी चाहिए.भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर कृषि क्षेत्र की आय अर्जक गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र वाली व्यवसाय योजना हो और जिसकी त्रण आवश्यकता 10 लाख से कम हो, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमवाईके) के अंतर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक, अल्प वित्त संस्था अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क कर सकता है.पी एम एम वाई के अंतर्गत ऋण लेने के लिए ऋणदात्री एजेंसी केसामान्य निबंधनों व शर्तों का पालन करना पड़ सकता है.उधार दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार होती है.प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों के लिए कोई अनुदान राशि नहीं होती है.यदि ऋण प्रस्ताव सरकार की किसी ऐसी योजना से सम्बद्ध

हो, जिसमें सरकार पूंजी अनुदान प्रदान करती है, तब भी वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र होगा.

मुद्रा अंतर्गत आजीविका परियोजना : यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है.इस परियोजना में स्वंय सहायता समूहों के ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर क्रमश: उत्थान संस्थान एवं एरिया फैडरेशन नामक संगठन बनाए जायेंगें.इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों की महिलाओं के समूह बनाकर उनकी क्षमता का विकास किया जायेगा.इन फेडरेशनों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन एवं आमदनी में बढ़ौतरी के लिए गरीब परिवारों को मोबीलाइज किया जायेगा.

केंद्रीय किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)

उद्देश्य	फसल की खेती के लिए आवश्यक अल्पावधि ऋण की पूर्ति. कटाई पश्चात के व्यय एवं उत्पाद विपणन ऋणों के लिए. किसानों के उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. कृषि उपकरणों एवं अन्य आस्तियों के रखरखाव एवं कृषि संबंद्ध अन्य गतिविधियों जैसे डेयरी, मछली पालन इत्यादि के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिए.	
पात्रता	सभी किसान - वैयक्तिक/संयुक्त उधारकर्ता जो भूस्वामी खेतिहर, काश्तकार किसान,पट्टेदार,मौखिक पट्टेदार, शेयर बटाईदार एवं स्वयं सहायता समूह अथवा किसानों का संयुक्त देयता समूह.	
ऋण सुविधा की प्रकृति	अल्पावधि परिक्रामी उधार	
मार्जिन	**निरंक** क्योंकि यह वित्त पैमाने में संनिहित है.	
प्रतिभूति	**प्राथमिक -** - फसल एवं बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक. **संपार्श्विक-** - रू. एक लाख तक कोई संपार्श्विक नहीं . - रू. एक लाख से अधिक के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक है.	
ब्याज दर	रु.50,000/- तक की ऋण सीमा रु.50,000/- से अधिक - रु.5 लाख तक रु.5.00 लाख से अधिक - रु.25.00 लाख तक रु.25.00 लाख से अधिक	बेस दर + 0.50% बेस दर + 1.00% बेस दर + 1.50% बेस दर + 2.00%
प्रक्रिया प्रभार	निरंक	
प्रलेखीकरण प्रभार	निरंक	

चुकौती	प्रत्याशित फसल एवं फसल के विपणन के अनुसार . वार्षिक समीक्षा के अधीन ऋण सीमा 5 वर्ष के लिए मान्य होगी.

ट्रैक्टर ऋण योजना

उद्देश्य	* ट्रेक्टर, ट्रेलर एवं अन्य कृषि उपकरण एवं सहायक उपकरणों की खरीदी के लिए ऋण.	
पात्रता	* वैयक्तिक, भागीदारी फर्म, कंपनियां, एफएसएस, कृषि एवं/अथवा संबंद्ध गतिविधियों में संलिप्त पीएसी जिनके पास 8 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि अथवा 16 एकड़ की सूखी भूमि हो जिसमे वर्ष में एक फसल होती है अथवा वर्ष में कम से कम दो फसल देने वाली 4 एकड़ सिंचित भूमि हो.	
ऋण सुविधा की प्रकृति	* मीयादी ऋण	
मार्जिन	* 20%	
प्रतिभूति	* प्राथमिक * संपार्श्विक	- ट्रेक्टर एवं बैंक वित्त से सृजित अन्य आस्तियों का दृष्टिबंधक - फसल का दृष्टिबंधक - मॉर्गेज/कृषि भूमि पर प्रभार प्राथमिक एवं संपार्श्विक प्रतिभूति का कुल मूल्य ऋण राशि का कम से कम 200% होना चाहिए.
बीमा	* ऋण से सृजित आस्तियों के पूर्ण मूल्य का बीमा होना चाहिए.	
ब्याज दर	रु.50,000/- तक की ऋण सीमा रु.50,000/- से अधिक - रु.5 लाख तक रु.5.00 लाख से अधिक - रु.25.00 लाख तक रु.25.00 लाख से अधिक	बेस दर + 0.50% बेस दर + 1.00% बेस दर + 1.50% बेस दर + 2.00%

प्रक्रिया प्रभार	* रू.25,000/- तक निरंक * @ रू. 120/- प्रति लाख अथवा इसका भाग, अधिकतम रू.20,000/-.
प्रलेखीकरण प्रभार	* निरंक
दस्तावेजीकरण प्रभार	रू. 2 लाख तक : निरंक रू. 2 लाख से अधिक रू. 5 लाख तक : रू. 200/- रू. 5 लाख से अधिक रू. 50 लाख तक : रू. 500/- रू. 50 लाख से अधिक : रू. 1000/-
चुकौती	* 7-9 वर्षों में .

सेन्ट पशुपालन इन्फ्रा योजना

उद्देश्य	* व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचा (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा (iii) पशु चारा योजना स्थापित करने के लिए
पात्रता	व्यक्तिगत उद्यमी, निजी कंपनियां, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठन और धारा 8 कंपनियां
सुविधा का प्रकार	* मियादी ऋण
मार्जिन	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम -10% मध्यम उद्यम -15% अन्य -25%
प्रतिभूति	* प्राथमिक- बैंक के वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक . * समपार्श्विक -एमएसएमई के ऋण के लिए – कोई सपार्श्विक नहीं - एमएसएमई की सीमा से अधिक के लिए - सीमा के 150% के बराबर सपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक .
ब्याज दर	उन उधारकर्ताओं के लिए जिनकी परियोना की लागत एमएसएमई की परिभाषित सीमा के अंदर है – आरबीएलआर + 2% अन्य के लिए - खातों की रेटिंग के अनुसार
ब्याज अनुदान	ऋण राशि पर ध्यान दिए बिना सभी पात्र ईकाईयों / उधारकर्ताओं के लिए 3%
प्रसंस्करण प्रभार	* रु.25,000/- तक : निरंक .

	* रु.25,000/- से अधिक: @ रु.120/- प्रति लाख अथवा इसके किसी भाग पर
दस्तावेजी प्रभार	रु.2 लाख तक- निरंक >रु.2 लाख से रु.25 लाख तक- रु.50/-प्रति लाख अथवा इसके भाग पर अधिकतम रु.1000/- >रु.25 लाख से रु.50 लाख – रु.75/- प्रति लाख अथवा इसके भाग पर अधिकतम रु.3000/- >रु.50 लाख से रु.1 करोड़ – रु.100/- प्रति लाख अथवा इसके भाग पर अधिकतम रु.7500/-
चुकौती	* 8 वर्ष (अधिकतम अधिस्थगन अवधि 2 वर्ष सहित)

सेन्ट किसान वाहन योजना

उद्देश्य	सभी प्रकार के वाहनों अर्थात दो/चार/परिवहन वाहन की खरीद के लिए वित्त उपलब्ध कराना
पात्रता	किसान/किसानों का समूह/फर्म/खेती और/या संबद्ध और सहायक गतिविधियों में लगी कंपनियां
सुविधा की प्रकृति	सावधि ऋण
ऋण की मात्रा	किसान: रु. 2.00 लाख से रु. 15.00 लाख अन्य कृषि संबद्ध/सहायक गतिविधियों में लगे हुए: रु. 2.00 लाख से रु. 25.00 लाख
हाशिया	टू व्हीलर: 10% चौपहिया/परिवहन वाहन:15%
सुरक्षा	वाहन का दृष्टिबंधक जमानत की सुरक्षा: 1.60 लाख रुपये तक: शून्य रु. 1.60 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख: तृतीय पक्ष गारंटी रु. 10.00 लाख से अधिक: ऋण का 50% + तृतीय पक्ष गारंटी
ब्याज दर	किसान: एमसीएलआर + 0.15% से एमसीएलआर+0.50% अन्य: एमसीएलआर + 0.15% से एमसीएलआर+1.50%
प्रसंस्करण शुल्क	* रु. 25,000/- तक : शून्य * रु.25,000/- से अधिक: @ रु.120/- प्रति लाख
दस्तावेज़ीकरण शुल्क	रु. 2.00 लाख तक: शून्य रु. 2.00 लाख से अधिक रु. 25.00 लाख: रु. 50.00 प्रति लाख
वापसी	5 से 7 वर्ष

सेन्ट फ्लेक्सी एग्री-बिजनेस लोन

उद्देश्य	खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण / कृषि अवसंरचना / बीज उत्पादन / जैव कीटनाशकों और amp में लगी इकाइयों को वित्त प्रदान करना; जैव उर्वरक/कृषि सेवा प्रदाता/सहायक गतिविधियाँ
पात्रता	व्यक्तिगत/फर्म/एलएलपी/सहकारी समिति/एफपीओ/कंपनियां कृषि संबंधी गतिविधियों में लगी हुई हैं
सुविधा की प्रकृति	सावधि ऋण/ओडी/बीजी/एलसी
ऋण की मात्रा	न्यूनतम रु 2.00 लाख अधिकतम रु. 10.00 लाख
हाशिया	ओडी/पीक स्तर ओडी-20%, टीएल/ओपन टीएल-25%, बीजी/एलसी-20%
सुरक्षा	स्टॉक/प्राप्तियों/संयंत्र और मशीनरी का दृष्टिबंधक संपार्श्विक सुरक्षा: ऋण राशि का न्यूनतम 100%
ब्याज दर	3.00 लाख रुपये तक: एमसीएलआर+1.00% रु. 3.00 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक: एमसीएलआर+1.15% रु. 10.00 लाख से अधिक रु. 100.00 लाख तक : एमसीएलआर+1.25% रु. 100.00 लाख से अधिक: क्रेडिट रेटिंग के अनुसार
प्रसंस्करण शुल्क	स्वीकृति: सीमा/ऋण राशि का 0.25% नवीनीकरण: सीमा/ऋण राशि का 0.10%
वापसी	टर्म लोन-अधिकतम 108 महीने (अधिकतम 12 महीने) ओडी/बीजी/एलसी: वार्षिक नवीनीकरण
दस्तावेज़ीकरण शुल्क	रु. 2.00 लाख तक: शून्य रु. 2.00 लाख से अधिक रु. 25.00 लाख: रु. 50/- प्रति लाख रु. 25.00 लाख से रु. 50.00 लाख से अधिक: रु. 75/- प्रति लाख रु. 50.00 लाख से अधिक रु. 100.00 लाख: रु. 100/- प्रति लाख रु. 1.00 लाख से रु. 10.00 करोड़ से अधिक: रु. 100/- प्रति लाख

स्वंय सहायता समूह के अंतर्गत गांव के किसी मोहल्ले अथवा बस्ती में रह रहे गरीब परिवारों को शामिल करते हुए 10 से 15 महिलाओं को समूह बनाया जाता है.समूह के सदस्यों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव कर समूह को चलाने के लिए नियम बनाते हैं ताकि एक लम्बे समय तक सदस्य समूह में जुडकर कार्य कर सकें एवं सामूहिक प्रयासों द्वारा आजीविका (रोजी रोटी) हेतु संसाधनों का विकास कर सकें.इसके लिए स्वंय सहायता समूहों के लिए बने मापदण्डों विशेष रूप से निम्नांकित पंचसूत्रों की पालन करने हेतु प्रेरित किया जाएगा –

पंच सूत्र

- समूह की नियमित बैठक
- समूह के सदस्यों द्वारा नियमित बचत
- समूह के सदस्यों में बचत का ऋण के रूप में अधिकतम उपयोग.
- सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण एवं ब्याज की समय पर अदायगी एवं
- समूह के लेखों का समुचित संधारण.

स्वंय सहायता समूह के स्थाई विकास के लिए –

- गरीब समुदाय के लोगों को समूह निर्माण, गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं उनके अधिकारों व दायित्वों के बारे में जागरूक करना.
- गरीब समुदाय के परिवारों की महिला सदस्यों को स्वंय सहायता समूहों का निर्माण करना.
- समूह के सदस्यों का समय-समय पर विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देकर क्षमतावर्द्धन करना.
- समूह के सदस्यों के परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समूहों को बैंकों से जोड़ना तथा समूहों के सदस्यों को टिकाऊ आजीविका (रोजी-रोटी) संसाधन उपलब्ध कराना.

ग्राम संगठनों (उत्थान संस्थानों) का योगदान :

किसी भी गांव के प्रत्येक सहायता समूह से 2-2 प्रतिनिधि लेकर 15 से 20 स्वंय सहायता समूहों के ऊपर एक ग्राम संगठन बनाया जावेगा.कम्यूनिटि मोबिलाइजर आदि उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा.ग्राम संगठन स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, चारा ऋण आदि उपलब्ध कराने जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करेंगें.ग्राम संगठन में अध्यक्ष, सचिव आदि पदाधिकारी उस संगठन के सदस्यों द्वारा चुने जायेंगें.ग्राम संगठन की विशिष्ट भूमिका निम्नानुसार होगी :

1. एरिया फैडरेशन स्तर पर स्वंय सहायता समूह का प्रतिनिधित्व करना.
2. स्वंय सहायता समूह को वित्तीय संसाधन तथा ऋण की वसूली.
3. सहयोग नहीं करने वाले सदस्यों एवं समूहों पर सामूहिक दबाव करना.
4. समूहों तथा उनके सदस्यों के बीच मतभेदों/विवादों को सुलझाना.
5. स्वंय सहायता समूहों की कार्य प्रणाली की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करना.
6. समूहों को आजीविका संवर्त्रन संबंधी आवेदनों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन.
7. परियोजना में समूहों के लिए उपलब्ध प्रावधनों के अनुसार कोष उपलब्ध करना.
8. समूहों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना.
9. गांव/मोहल्ला एवं ग्राम पंचायत स्तर के सार्वजनिक विकास कार्यों की पहल करना.
10. बुक कीपर्स के कार्यों का मूल्यांकन करना.
11. संगठन को बैंक खाता रखना अनिवार्य होगा. ग्राम संगठन अपने क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक स्वास्थ्य, प्राकृतिक

संसाधन आदि से संबंधित सभी कार्य जो कि गरीबों के हित में हो, के लिए संबंधित व्यक्तियों/विभागों एवं स्थानीय

प्रशासन (ग्राम पंचायत) आदि से समन्वयन स्थापित करेंगें.

एरिया फैडरेशन:

किसी भी क्षेत्र के आस-पास के 15 से 20 ग्राम संगठनों का एक एरिया फैडरेशन बनाया जावेगा.इस फैडरेशन में उससे जुड़े प्रत्येक ग्राम संगठन से 2-2 प्रतिनिधि शामिल होंगें तथा वे अपने पदाधिकारियों यथा अध्यक्ष, सचिव आदि का चुनाव करेंगें.फैडरेशन को परिषद द्वारा संस्थापन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी, जबकि अन्य क्रिया कलापों के लिए बैंक तथा ग्राम संगठनों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे.फैडरेशन के अधीन आने वाले क्षेत्र में समाजिक एवं आर्थिक सरोकारों से जुड़े कार्य कलापों हेतु विभिन्न संस्थाओं, राजकीय उपक्रमों एवं योजनाओं के लिए ये फैडरेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगें.फैडरेशन का पंजीकरण अनिवार्य होगा.

अटल पेंशन योजना
(ए पी वाय)

असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा उपलब्ध करवाने के भारत सरकार के प्रयासों के क्रम में गरीब और विशेषाधिकार जनसंख्या के तहत आने वालों के लिए एक नई योजना अटल पेंशन योजना (ए पी वाय) शुरू की है. अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर ध्यान केन्द्रीत करेगी. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए))द्वारा संचालित

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) से जुडे हैं और जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं है और जो आयकर दाता नहीं है.

अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए आयु सीमा 18 सं 40 वर्ष है, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं है.
पेंशन राशि अभिदाता को 60 वर्ष की आयु रूपये 1000/- रूपये 2000/- रूपये 3000/- रूपये 4000/- अथवा रूपये 5000/- की गारंटीकृत निश्चित न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी. योजना का अभिदान अभिदाता की आयु और जो न्यूनतम पेंशन वह प्राप्त करना चाहता है, उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा.

एम एस

एम ई

सेंट - बिजनेस गोल्ड लोन

पात्रता :

1. मौजूदा और साथ ही नए ग्राहक।
2. व्यक्तिगत (18 वर्ष से 60 वर्ष), प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप, व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न।

प्रयोजन:

केवल व्यापार की जरूरत के लिए।

वित्त की मात्रा:

1. न्यूनतम: रु.10,000/-
2. अधिकतम: रु.20,00,000/-

मार्जिन :

20%.

ब्याज की दर :

1. रु. 10000 रुपये और 10 लाख रुपये तक: एमसीएलआर + 0.50%
2. रु.10 लाख से अधिक और रु.20 लाख तक: एमसीएलआर + 1.00%

चुकौती की शर्तें :

सावधि ऋण के मामले में चुकौती: महीने
ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के मामले में चुकौती: मांग पर और वार्षिक आधार पर नवीकरणीय।

प्रतिभूति :

प्राथमिक प्रतिभूति :

• 22 कैरेट या 24 कैरेट शुद्धता के सोने के सिक्के (विशेष रूप से जो बैंकों द्वारा ढाले एवं बेचे गए है)/ सोने के आभूषणों की गिरवी.

• सोने के गहनों पर हॉल मार्क होना चाहिए।

प्रसंस्करण शुल्क :

1. शून्य रु.5 लाख तक
2. ऋण रु.5.00 लाख से रु.20 लाख: रु.250/- प्रति लाख या उसका भाग

सेंट एग्री गोल्ड लोन योजना

उद्देश्य

कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों और व्यक्तियों को उनकी कृषि ऋण जरूरतों को जल्दी से पूरा करने में सक्षम बनाना, यानी फसल उत्पादन और निवेश ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए भी।

पात्रता

कृषि या संबद्ध गतिविधियों में लगे किसान और व्यक्ति।

सुविधा की प्रकृति

लघु अवधि उत्पादन ऋण - -

CKCC/CC/OD या सिंगल ट्रांजेक्शन डिमांड लोन एक साल के भीतर चुकाया जा सकता है।

सावधि ऋण -

60 महीने के भीतर चुकाने योग्य।

सीमा

फसल उत्पादन के लिए- ऋण की मात्रा का आकलन वित्त के पैमाने के आधार पर किया जाएगा
(हालांकि सीमा हमारे बैंक द्वारा जारी किए गए गिरवी रखे सोने के आभूषण/सोने के सिक्कों के मूल्य तक सीमित होगी, निर्धारित मार्जिन को घटाकर, वर्तमान में 20%)
अन्य उद्देश्यों के लिए - वास्तविक ऋण आवश्यकता के आधार पर ।

हाशिया

सीसी/ओडी सीमा और एक वर्ष के भीतर चुकाने योग्य अल्पावधि ऋण
20%

ऋण की मात्रा

रु. २२ कैरेट शुद्धता वाला ३२५० प्रति ग्राम सोना और २४ कैरेट शुद्धता वाले सोने का ३५०० रुपये प्रति ग्राम। (सोने के बाजार मूल्य के आधार पर आवधिक समीक्षा के अधीन)

ऋण की अधिकतम मात्रा रु. 20.00 लाख केवल

सुरक्षा

22 कैरेट या अधिक शुद्धता के सोने के गहने और/या सोने के सिक्के* गिरवी रखना (हमारे बैंक द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के प्रति उधारकर्ता अधिकतम 50 ग्राम वजन के स्वीकार किए जाएंगे)।

ब्याज दर

सीकेसीसी-गोल्ड लोन (3.00 लाख तक ब्याज सबवेंशन)

ब्याज सबवेंशन के अलावा 7%

MCLR+0.25%

प्रसंस्करण शुल्क

उत्पादन ऋण- शून्य

उत्पादन ऋण के अलावा- 25,000/- तक:-शून्य

25,000/- से ऊपर रु.120/- प्रति लाख (0.12%) या उसका भाग

दस्तावेज़ीकरण शुल्क

2 लाख रुपये तक- शून्य
>रु. 2 लाख से रु. 20 लाख- रु. 50/- प्रति लाख अथवा उसका भाग अधिकतम रु. 1000/-

पुनर्भुगतान की अवधि

नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट:

यह सीमा वार्षिक समीक्षा के अधीन 5 वर्षों के लिए वैध होगी।

मांग ऋण:

चुकौती आय सृजन पर आधारित होगी, अधिकतम 18 महीने की अवधि के भीतर।

सावधि ऋण :

अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के भीतर

सेंट वेयरहाउस प्राप्ति (डब्ल्यू.एच.आर.) योजना

उद्देश्य

किसानों/व्यापारियों/प्रसंस्कारकों/आर्थियों को डब्लूडीआरए से मान्यता प्राप्त गोदामों जैसे कि सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन आदी द्वारा जारी वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज रसीदों और विचारणीय वेयरहाउस रसीदों के लिए वित्त।

पात्रता

मौजूदा/नए ग्राहक
व्यक्तिगत किसान (एसएचजी/जेएलजी/कॉर्पोरेट सहित, व्यक्तिगत किसानों की किसान उत्पादक कंपनियां/साझेदारी फर्म और सीधे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों की सहकारी समितियां।
01.आढ़ती/कमीशन एजेंट, व्यापारी।
02.खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयां

वित्त की मात्रा

आवश्यकता आधारित

मार्जिन

वेयरहाउस रसीद के अनुसार बाजार मूल्य/मूल्य पर 35% या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20%; जो भी कम हो।

प्रतिभूति

प्राथमिक प्रतिभूति
वेयरहाउस रसीद की गिरवी .

संपार्श्विक प्रतिभूति
यदि सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी और बैंक के साथ जुड़े संपार्श्विक प्रबंधकों द्वारा डब्ल्यूएचआर जारी किया जाता है – निरंक

- **अन्य मामलों में, WHR योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार**

ब्याज की दर

योजना के लिए प्रचलित ब्याज दर के अनुसार

रु.10 लाख तक के कृषि ऋण के लिए- परक्राम्य WHR के विरुद्ध ब्याज पर आर्थिक छूट भी उपलब्ध है, जो शाखा द्वारा निर्धारित फसल ऋण की चुकौती की निर्धारित तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए या केसीसी वाले छोटे और सीमांत किसानों के ऋण प्राप्त करने से एक वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, होगी ।

चुकौती की शर्तें

वस्तुओं की स्वयं का सामान्य जीवन /वितरण से 12 महीने/डब्ल्यूएचआर की नियत तारीख, जो भी पहले हो

सेंट ट्रेड

1.पात्रता

सभी प्रकार के व्यापारी जिनमें खुदरा विक्रेता / वितरक / कमीशन एजेंट / आढ़तिया / प्रमुख कंपनियों के डीलर आदि शामिल हैं।

2.वित्त की मात्रा

प्रति उधारकर्ता अधिकतम रु. 500.00 /-

3.आंकलन का तरीका

लिमिट का आंकलन टर्नओवर पद्धति के आधार पर, यथा; अनुमानित वार्षिक विक्री का 20%. टर्नओवर लिमिट 12 माह की अवधि के लिए होगी तथा प्रति वर्ष नवीकृत / पुनार्विलोकित होगी .

4.वित्त की प्रकृति

सामान्यतः ओवरड्राफ्ट. तथापि, उधारकर्ता के अनुरोध पर, उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और नकदी प्रवाह के आधार पर सावधि ऋण देने पर विचार किया जा सकता है

5.प्रतिभूति

आवासीय घर/फ्लैट, वाणिज्यिक या औद्योगिक संपत्ति, गैर-कृषि सीमाबद्ध और उधारकर्ता के नाम पर या कब्जे में अच्छी तरह से सीमांकित भूखंड का साम्यिक बंधक (बैंक को एकमात्र प्रभार के तहत)।

20.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपत्ति का बाजार मूल्य ऋण राशि का कम से कम 150% और वसूली योग्य राशि ऋण राशि का न्यूनतम 120% होना चाहिए।

20.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए, संपत्ति का बाजार मूल्य लिमिट का कम से कम 200% और वसूली योग्य राशि न्यूनतम 150% होना चाहिए।

व्यक्ति विशेष को, स्वामित्व और साझेदारी के कंपनी को वित्तपोषण के लिए पति/पत्नी/रक्त सम्बन्ध से जुड़े के नाम की संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में लिया जा सकता है बशर्ते कि वे सह-उधारकर्ता या गारंटर के रूप में शामिल हों |
कंपनी या उसके निदेशक के नाम की संपत्ति को, संपत्ति के मालिक / निदेशक की व्यक्तिगत गारंटी को कंपनी को वित्तपोषण के लिए प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

किसी भी ऋण राशि पर संपत्ति के बदले तरल प्रतिभूति को निम्न रूप में स्वीकार किया जा सकता है :

i.ऋण राशि के 125% (अर्थात मार्जिन 20%) की सीमा तक अर्जित मूल्य (ब्याज सहित) की एनएससी
ii. ऋण राशि के 112% (मार्जिन 10%) तक के एल.आई.पी. के समर्पण मूल्य / अर्जित ब्याज सहित बैंक का सावधि जमा ।
iii बैंक की ऋण नीति के अनुसार प्रतिभूतियां अर्थात ऋण राशि (25% का मार्जिन) के न्यूनतम 133 प्रतिशत की सीमा तक के सरकार/बैंकों द्वारा जारी बांडों को स्वीकार किया जा सकता है।
उपरोक्त के अनुसार अचल संपत्ति के लिए लागू नामों में उपरोक्त लिक्विड सिक्योरिटी हो सकती है। प्रस्तावित प्रतिभूति उपरोक्त के अनुसार अचल संपत्ति और/या कोई/ मार्जिन के साथ तरल प्रतिभूति से अधिक का संयोजन भी हो सकती है।

6.बीमा सम्पत्ति

आग, दंगे से होने वाले नुकसान से बचने हेतु, जहाँ कहीं भी लागू हो, तथा अन्य आपदा जैसे कि भूकम्प, बाढ़, बिजली आदी से बचने हेतु, स्टॉक के बीमा / ब्यापार के स्टॉक के पूर्ण मूल्य के सम्पत्ति बीमा होने के बैंक के वकल्पिक उपबंध के तहत बीमाकृत होगी ।

7.ब्याज की दर

एम.सी.एल.आर. + 3.00% (10.25+3.00=13.25%)

8.प्रसंस्करण शुल्क

- रु. 25,000/- तक : रु. 100 प्रति प्रस्ताव
> रु. 25,000/- से रु. 2 लाख : रु. 300/- प्रति प्रस्ताव –
> रु.2 लाख : लिमिट का 0.5% (सावधि ऋण हेतु अधिकतम रु.50,000/- तथा स्वीकृत होते समय ओवरड्रॉफ्ट के लिये –रु.20,000/-). नवीकरण शुल्क @ लिमिट का 0.10%., अधिकतम रु.5000/-,

9.अपेक्षित दस्तावेज / फार्म का विवरण

i) आवेदन प्रारूप
ii) रु. 10,000 या से अधिक के लिमिट होने पर वित्तीय स्टेटमेंट जमा किया जाये .
iii) सेल्स टैक्स / वैट / किसी अन्य टैक्स पंजीकरण की प्रति
iv) सेल्स टैक्स / वैट रिटर्न की प्रति (पीछले चार तिमाहीं के मूल्यांकन आदेश)
v) वर्तमान मूल्यांकन के साथ प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित सम्पत्ति का विवरण
vi) पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न
vii) सम्पत्ति तथा अन्य प्रतिभूतियों का विवरण

सेंट – कॉन्ट्रेक्टर

लक्ष्य समूह:

सिविल ठेकेदार / निर्माण ठेकेदार
मुख्य ठेकेदारों की ओर से कार्य निष्पादित करने वाले उप ठेकेदार जिन्हें मुख्य ठेकेदारों द्वारा कार्य आवंटित किया गया है

उद्देश्य:

केंद्र सरकार के विभाग/राज्य सरकार के विभाग/पीडब्ल्यूडी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बी+ रेटिंग और उससे ऊपर की श्रेणी वाले प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संगठनों की ओर से काम में लगे अच्छी प्रतिष्ठा के ठेकेदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

सुविधा:

निर्माण पूर्व चरण: सीसी, ओडी, टीएल, बीजी, डीपीजी और बिड बांड गारंटी।
निर्माण चरण और निर्माण के बाद का चरण: स्वीकृत बिलों की खरीद / छूट के लिए बिल सीमा हेतु नकद साख / ओवरड्राफ्ट, प्रतिधारण राशि जारी करने के लिए बैंक गारंटी सीमा।

अधिकतम ऋण: रु.5 करोड़
वित्त का आकलन:
संपूर्ण चुकौती अवधि के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर।

चुकौती :

सीसी/ओडी के मामले में 12 महीने और सावधि ऋण के मामले में अधिकतम 5 साल

ब्याज :

रु.10 लाख तक @ एमसीएलआर+0.50%, रु.10 लाख से अधिक रु.1 करोड़ तक @एमसीएलआर+1.00 और रु.1 करोड़ से अधिक (रेटिंग सीबीआई-1 से सीबीआई-4 @ एमसीएलआर+2.00% और सीबीआई- 5 और उससे अधिक @ सीबीआई+2.50% से सीबीआई +4.00%)

प्रसंस्करण शुल्क :

ऋण राशि का 1.00% अधिकतम रु. 2,00,000/-

प्राथमिक प्रतिभूति :

सभी प्रकार के निर्माण कच्चे माल/संयंत्र और मशीनरी और उपभोज्य भंडार का दृष्टिबंधक, बही ऋण का दृष्टिबंधक। तथापि, 90 दिनों से अधिक पुरानी प्राप्तियों के विरुद्ध डीपी की अनुमति दी जानी चाहिए।

समपार्श्विक प्रतिभूति :

1.00 करोड़ रुपये तक: स्वीकृत सीमा के 100% वाली अचल संपत्ति का साम्यिक बंधक। (निधिआधारित +गैरनिधि आधारित) या सीजीटीएमएसई कवरेज जहां कोई संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं ली जानी है.
रु.1 करोड़ से अधिक और रु.5 करोड़ तक: अचल संपत्ति का साम्यिक बंधक, जिसका बाजार मूल्य स्वीकृत सीमा (निधिआधारित +गैरनिधि आधारित) के 150% से कम नहीं है।

सेन्ट मोर्टगेज

1.उद्देश्य

किसी भी किस्म के व्यक्तिगत या व्यावसायिक खर्चो को पूरा करने के लिए परन्तु सट्टेबाजी के उद्देश्य /जमीन जायदाद के कार्यकलाप /पूँजीं बाजार के कामकाज को छोडकर

2. पात्रता

महानगर/शहरी/अर्द्ध शहरी /ग्रामीण केन्द्रो में स्थित अचल संपत्ति के बंधक के विरूद्ध ऋण.

3.लक्ष्य समूह

स्टाफ सहित व्यक्ति/यो एकल या संयुक्त रूप से , ट्रेडर्स, व्यापारी , व्यावसायिको या स्व-नियोजित व्यक्तियो, स्वामित्व फर्म ,भागीदारी फर्म (ट्रेडर्स या भागीदारी फर्म जहाँ एच यू एफ भागीदार हैं को छोडकर) कम्पनियां (एन बी एफ सी को छोडकर) एवं अनिवासी भारतीय (स्थानीय सह-उधारकर्ता के साथ जैसे निवासी भारतीय के साथ सह-उधारकर्ता के रूप में जो अनिवासी भारतीय उधारकर्ता का रक्त संबधी हो) जिनके पास रू 10000/- प्रतिमाह न्यूनतम अथवा इससे अधिक शुद्ध आय का ज्ञात एवं नियमित स्त्रोत हैं और सट्टेबाजी /जमीन जायदाद के कार्यकलाप /पूँजीं बाजार के कामकाज में संलग्न न हों.

4.सुविधा का स्वरूप

- मियादी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट
- ओवरड्राफ्ट सुविधा एक वर्ष के लिए होगी एवं इसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा होगी

5.ऋण की प्रमात्रा

--न्यूनतम रू 1 लाख
- अधिकतम -ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित सम्पत्ति के लिए रू 50लाख एवं अन्य क्षेत्रो में स्थित सम्पत्ति के लिए रू 500 लाख
- अन्य उधारी को मिलाकर समान मासिक किश्ते कुल मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए .

6.प्रतिभूति

केवल महानगर/शहरी/अर्द्ध शहरी केन्द्रो में स्थित उधारकर्ता के नाम एवं कब्जे में,भार रहितआवासीय निवास /फ्लैट ,जिसमें वह स्वंय निवास कर रहा हो अथवा खाली हो , व्यावसायिक या औद्योगिक संपत्ति का साम्यिक बंधक .इस संपत्ति का मूल्य ऋण राशि के 150-200 % के बराबर होना चाहिए.

7.बीमा

संपत्ति का अग्नि , दंगें के विरूद्ध बीमा किया जाएगा .जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अन्य आपदाओं जैसे भूकंप ,बाढ, तडित इत्यादि के विरूद्ध संपत्ति के पूरे मूल्य के लिए सामान्य बैंक खण्ड के साथ उधारकर्ता द्वारा बीमा करवाया जायेगा

8.गारंटी

संपत्ति के संयुक्त/सह मालिक (यदि कोई हैं) की व्यक्तिगत गारंटी. फर्म /कंपनियो को मार्गेज ऋण के मामले में , भागीदारो/निदेशको की व्यक्तिगत गारंटी ली जानी चाहिए.

9.ब्याज दर

एम सी एल आर +4.50%

10.प्रकिया शुल्क

मियादी ऋण - ऋण राशि का 0.50% अधिकतम रू 20,000/-
ओवरड्राफ्ट - ऋण राशि का 0.50% अधिकतम रू 10,000/-

11.पूर्व भुगतान प्रभार

यदि उधारकर्ता अपने स्वंय के स्त्रोतो से पूर्व भुगतान करता हैं तो कोई प्रभार नही.
- यदि ऋण खाता अन्य बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा टेक ओवर किया जाता हैं तो टेक ओवर की तिथि पर बकाया ऋण राशि पर 1 % पूर्व भुगतान प्रभार लगाया जायेगा.

12.पुनर्भुगतान

ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 120 समान मासिक किश्तो में,जो कि संवितरण के उपरान्त अगले माह से प्रारभ्भ होगा
समान मासिक किश्तो की अदायगी उत्तर दिनांकित चेको /ई सी एस मेनडेट के द्वारा

सेंट- मोर्गेज -शैक्षिक संस्थान

1.पात्रता

मेट्रो/शहरी/अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित संस्थान भवन की अचल संपत्ति के गिरवी पर ऋण।
सोसायटी/ट्रस्ट के रूप में निगमित निजी शैक्षणिक संस्थान कम से कम 5 वर्षों के लिए अस्तित्व में होना चाहिए और छात्रों के कम से कम 2 बैचों को सरकार/यूजीसी/किसी भी सांविधिक निकाय जैसे एआईसीटीई/आईएमसी आदि द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न शैक्षिक बोर्डों/विश्वविद्यालयों/ से संबद्ध संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए

2.उद्देश्य

किसी भी प्रकार के परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए, लेकिन किसी सट्टा उद्देश्य / रियल एस्टेट गतिविधि / पूंजी बाजार गतिविधि के लिए नहीं।

3.वित्त की प्रकृति :

न्यूनतम: रु.1.00 लाख
अधिकतम: रु.500.00 लाख

4.ब्याज की दर :

सावधि ऋण और ओवर ड्राफ्ट के लिए एमसीएलआर + 4.50%

5.चुकौती की शर्तें:

सावधि ऋण की चुकौती अधिकतम 120 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में की जानी है, जो संवितरण के अगले महीने से शुरू होगी।
ओवर ड्राफ्ट: सालाना 12 महीने के नवीनीकरण के लिए।

6.प्रतिभूति

मेट्रो/शहरी/अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित संस्थान के नाम और कब्जे में भवन के साथ गैर-भारग्रस्त भूमि का साम्यिक बंधक

7.अन्य प्रभार:

प्रोसेसिंग शुल्क:

मीयादी ऋण और ओवरड्राफ्ट के मामले में, ऋण राशि का 0.50%, जो क्रमशः रु.20,000/- और रु.10,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन नवीकरण शुल्क: ओडी के मामले में, नवीकरण शुल्क @ 0.50%, अधिकतम रु. 2000/- प्रति नवीनीकरण लगाया जाएगा।

निरीक्षण शुल्क और दस्तावेज़ीकरण शुल्क: शून्य

सेंट - निर्माण उपकरण वित्त योजना (सीसीईएफ)

पात्रता:

निर्माण गतिविधि में लगी फर्म/कंपनियां (ठेकेदारों सहित).

प्रयोजन:

निर्माण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए नई मशीनरी/उपकरण/वाहन

वित्त की मात्रा :

अधिकतम रु. 5.00 करोड़।

मार्जिन:

मशीनरी/उपकरण/वाहनों की लागत का 25%

ब्याज की दर :

रु.1 करोड़ तक (एक वर्ष तक का सावधि ऋण):

• रु.10.00 लाख तक: एमसीएलआर + 0.50%
• रु.10.00 लाख से रु.100 लाख तक: एमसीएलआर + 1.00%
रु.1 करोड़ से अधिक: ग्राहक क्रेडिट रेटिंग के आधार पर।
लोन के लिए अवधि प्रीमियम होगा: 1 वर्ष से 3 वर्ष तक 0.25% और 3 वर्ष से 5 वर्ष तक 0.50% .

चुकौती की शर्तें :

ऋण की चुकौती अधिकतम 60 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में की जानी है, जो पहले संवितरण के अगले महीने से शुरू होगी।

प्रतिभूति:
प्राथमिक

बैंक द्वारा वित्तपोषित मशीनरी/उपकरण/वाहनों का दृष्टिबंधक

संपार्श्विक

संपत्ति/भूमि एवं भवन/तरल प्रतिभूति को गिरवी के रूप में ऋण राशि का 25%.

प्रसंस्करण शुल्क:

रु.5 लाख तक- शून्य.
रु.5.00 लाख से ऊपर- रु.200/- प्रति लाख (अधिकतम रु.1 लाख) .

सेन्ट कल्याणी

महिला उद्यमियों के लिए स्थायी एवं सतत रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु.

पात्रता :

18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला उद्यमी
सहयोग हेतु कोई आय सीमा नहीं.
सुविधा का प्रकार :
यह सुविधा, ओवरड्राफ्ट /नकद साख कार्यशील पूंजी सीमा/सावधि ऋण/ गैर निधि आधारित सीमा (कार्यशील पूंजी के साथ साथ सावधि ऋण के लिए) प्रकार की हो सकती है.

वित्त की प्रमात्रा :

अधिकतम रु. 100.00 लाख

मार्जिन :

मार्जिन 20%

ब्याज दर :

रु. 10 लाख तक : एमसीएलआर + 0.25% +अवधि प्रीमियम, जहाँ भी लागू हो. **

रु. 10 लाख से रु. 100 लाख (अधिकतम) : एमसीएलआर + 0.50% + अवधि प्रीमियम, जहाँ भी लागू हो. **

** सावधि ऋण के लिए अवधि प्रीमियम (अधिस्थगन अवधि सहित) निम्नानुसार होगी :

>1 वर्ष से 3 वर्ष तक : 0.20 प्रीमियम

> 3 वर्षसे 7 वर्ष तक : 0.40 प्रीमियम

प्रक्रिया शुल्क :

निरंक

पुनर्भुगतान :

कार्यशील पूँजी : मांग पर

सावधि ऋण : 6 माह से 1 वर्ष तक की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 7 वर्ष.

प्रतिभूति :

स्टॉक और प्राप्तियाँ तथा बैंक की निधि से सृजित सभी परिसम्पत्तियों का बंधकीकरण

किसी सम्पार्श्विक अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं.
सीजीटीएमएस के अंतर्गत आवश्यक रुप से कवर किया जाए. रिटेल व्यापार (लघु सेवाओं के रुप में वर्गीकृत), शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान एवं एसएचजी के अलावा सभी इकाईयों पर सीजीटीएमएस कवरेज लागू हैं.

आवश्यक दस्तावेज :

केवाईसी मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. विवाहोपरांत बदले हुए नाम को अभिलेख में रखा जाय.
आईबीए द्वारा अनुमोदित मानक आवेदन पत्र (परिचालित किया जा चुका है और वेबसाईट पर उपलब्ध है.)
पिछले 2 वर्षों के अनुमानित और पुर्वानुमानित तुलनपत्र एवं अन्य वित्तीय विवरणियाँ, जहाँ भी लागू हो.
उधारकर्ता से दृष्टिबंधक पत्र, ब्याज पत्र, निरंतरता पत्र एवं लेटर ऑफ अंडर्स्टैंडिंग़ /सहमति पत्र .

डीपी नोट

चूक के मामले में उधारकर्ताओं के नामों के प्रकटीकरण हेतु सहमति प्राप्त की जाए.
अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें या टॉल फ्री नम्बर 1800 22 1911 पर संपर्क करें.